ली न्यूज, जयपुर के दिनांक 21.08.2019 के अंक में प्रकाशित समाचार "नौ महीने बाद भी सहकारी बैंकों की वित्तीय हालत बेपटरी" के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति

- गत सरकार एवं वर्तमान सरकार द्वारा घोषित अल्पकालीन ऋण माफी योजनाओं में प्रदत्त माफी राशि के पेटे वर्तमान तक सरकार द्वारा कुल राशि रूपये 3419.18 करोड स्वीकृत किया जा चुका है। सहकारी बैंकों क़ी तरलता हेतु वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से लिये गये राशि रूपये 5000.00 करोड के ऋण पेटे अपनी प्रत्याभूति उपलब्ध करवाई गई तथा उक्त ऋण पेटे आहरित राशि की किश्तों का मय ब्याज भुगतान भी वर्तमान तक राज्य सरकार द्वारा यथासमय एनसीडीसी को किया गया है। वर्ष 2019–20 में भी सहकारी बैंकों की तरलता की समस्या के लिये एनसीडीसी से स्वीकृत ऋण राशि रूपये 5000.00 करोड के पेटे राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- वर्ष 2019–20 में राज्य द्वारा सम्पूर्ण देश में पहली बार अल्पकालीन फसली ऋण वितरण व्यवस्था ऑनलाइन किये जाने के उद्देश्य से सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 क्रियान्वित की जा रही है। योजना में 03.06.2019 से ऑनलाइन फसली ऋण दिये जाने हेतु ऑनलाइन पंजीयन आरम्भ किया जाकर 11.07.2019 से ऋण वितरण आरम्भ किया गया है। उक्त योजना में कृषक सदस्य द्वारा आधार आधारित अभिप्रमाणन से आनलाईन ऋण आवेदित किये जाने पर सदस्य की पात्रता एवं बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत ऋण वितरण किया जा रहा है।
- सीकर बैंक को खरीफ फसल, 2019 हेतु रूपये 500.00 करोड के ऋण अग्रिम के लक्ष्य रखे गये है। सीकर बैंक द्वारा ऑनलाईन पंजीयन के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2019 तक 61411 कृषकों का पंजीयन करते हुये 43849 किसानों को रूपये 142.80 करोड ऋण स्वीकृत/भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बैंक द्वारा प्रति समिति 100 नये सदस्यों का पंजीयन करते हुये ऋण स्वीकृति की कार्यवाही कर दी गई है।
- गत वर्षो में खरीफ ऋण अप्रैल माह से प्रारम्भ हो जाने के कारण अगस्त माह तक राशि अधिक अग्रिम हो जाती थी चूंकि आलोच्य वर्ष में अल्पकालीन फसली ऋण में पूर्ण पारदर्शिता बने इस हेतु तैयार किये गये पोर्टल में समय लगने एवं 11 जुलाई से ऋण अग्रिम प्रारम्भ होने के कारण राशि कम अग्रिम हुई। अतिशीघ्र सीकर बैंक लक्ष्यों तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करते हुये पात्र सभी किसानों को ऋण अग्रिम कर देगा।